वैश्विक संस्थाओं में सुधार जरूरी : जयशंकर

- एशिया-अफ्रीका प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर भारत का जोर
- जलवायु वित्त और विकास बैंकों में बदलाव की मांग

नई दिल्ली, 15 मई. भारत ने वैश्विक शासन संस्थाओं में तत्काल सुधारों की पुरजोर मांग करते हुए कहा है कि मौजूदा बहुपक्षीय व्यवस्था मौजूदा भू-राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती.

विदेश मंत्री डा एस जयशंकर ने शुक्रवार को यहां ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक के दूसरे और अंतिम दिन वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार विषय पर खुले सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये सुधार विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार की जोरदार वकालत की और कहा कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व अब भी अपर्याप्त है. भारत ने सदस्य देशों से संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर चरणबद्ध तरीके से वार्ता शुरू करने का भी आग्रह किया और अंतर-सरकारी वार्ता प्रक्रिया तथा ब्रिक्स जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में हुई प्रगति का उल्लेख किया. आर्थिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार की मांग की, जिसमें अधिक मजबूत और जवाबदेह बहुपक्षीय विकास बैंकों तथा विकास और जलवायु वित्त तक आसान पहुंच पर जोर दिया गया.

> भारत ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का भी समर्थन किया और गैर-बाजार प्रथाओं तथा आपूर्ति श्रृंखला के केंद्रीकरण पर चिंता जताते हुए विश्व व्यापार संगठन में नियम-आधारित व्यवस्था को आवश्यक बताया।उन्होंने कहा कि सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत बहुपक्षवाद लोकतांत्रिक, समावेशी और संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए. उन्होंने कहा कि सहयोग, संवाद और सुधार अधिक न्यायसंगत और प्रतिनिधिक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक है.

ईंधन बचत के उद्देश्य से कोर्ट में सप्ताह में दो दिन ऑनलाइन सुनवाई

नई दिल्ली, 15 मई. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जनता से ईंधन बचाने की अपील के बाद उच्चतम न्यायालय ने सोमवार एवं शुक्रवार को केवल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करने का निर्णय लिया है।नयी व्यवस्था के अनुसार, सोमवार और शुक्रवार को सभी सुनवाइयां केवल ऑनलाइन होंगी. मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को वकीलों और वादियों के पास व्यक्तिगत रूप से या आभासी रूप से उपस्थित होने का विकल्प होगा.

हीटवेव की चपेट में देश के कई राज्य

नई दिल्ली, 15 मई. उधर का देश का आधे से ज्यादा हिस्सा हीटवेव की चपेट में है. महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में गुरुवार को तापमान 40एष्ट के पार दर्ज किया गया. महाराष्ट्र का अकोला 45.9एष्ट के साथ देश में सबसे गर्म रहा. जलगांव, वर्धा और अमरावती में भी पारा 45एष्ट के ऊपर दर्ज हुआ.

राजस्थान के फलोदी में तापमान 45.2एष्ट, जैसलमेर और बाड़मेर में 45.1एष्ट रिकॉर्ड हुआ. श्रीगंगानगर में 44.8एष्ट और जोधपुर में 44एष्ट पारा रहा. जयपुर, बीकानेर और नागौर में दिनभर हीटवेव जैसे हालात रहने के बाद शाम को बारिश हुई. इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिली. मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया कि मानसून केरलम में 26 मई को दस्तक दे सकता है. आमतौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरल पहुंचता है, फिर देश के दूसरे हिस्सों को कवर करने के लिए उत्तर की ओर बढ़ता है पिछले साल मानसून 24 मई को आया था. 2025 में सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हुई थी. 30 सितंबर 2025 को मौसम विभाग ने बताया था कि पूरे देश में सामान्य से 8 प्रतिशत अधिक बारिश (937.2 मिमी) दर्ज की गई.

आज का इतिहास

1857-भारतीय राजनीतिज्ञ आर.एन. माधोलकर, जिन्होंने एक अवधि तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया का जन्म.

1902-भारतीय शिक्षाविद करमशी जेठाभाई सोमैया का जन्म.

1920-फ्रांसीसी स्वतंत्रता सेनानी, सेनापति जॉन ऑफ आर्क को संत की उपाधि दी गयी.

1943-वॉरसॉ में यहूदी बस्तियों में चल रही लड़ाई खत्म हो गई.पुलिस और कमांडो दल ने 19 अप्रैल को इन बस्तियों में प्रवेश किया था.

1960-भारत और ब्रिटेन के बीच अंतरराष्ट्रीय टेलेक्स सेवा की शुरुआत.

1974-इजरायल के लड़ाकू विमानों ने सात फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों और दक्षिणी लेबनान के गांवों पर बम दागे.इन हमलों में 27 लोग मारे गए और 138 अन्य घायल हुए.

1975-सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया.

1996-अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के दसवें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की.

1999-दक्षेस का 2002 ई. में होने वाला शिखर सम्मेलन थिम्पू में कराये जाने की घोषणा.

कार्यालय नगर परिषद् तराना जिला उज्जैन म. प्र.

Notice Inviting e-Tenders
Government of Madhya Pradesh
Urban Administration and Development Department

N.I.T. No / E-tender/Tarana / 2026/892-893 Dated 14/05/2026

Online percentage rate bids for the following works are invited from registered contractors and firms of repute fulfilling registration criteria:

S. No.	Name of Work	District(s)	Probable Amount of Contract (Rs. in lakh)	Earnest Money Deposit (In Rupees) (EMD) (In Rupees)	Cost of Bid Document (In Rupees)	Period of Completion (in Months)
01	Processing shed at SWM plant 2026_UAD_507967_1	Ujjain	25.23 lacs	18928/-	5000/-	06 MONTH
02	BOUNDARY WALL 2026_UAD_507946_1	Ujjain	6.86 lacs	6866/-	2000/-	03 MONTH

1. Interested bidders can view the NIT on website https://mptenders.gov.in.

(विरेन्द्र कुमार मेहता)
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् तराना जिला उज्जैन

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

ए.आर.एम. शाखा- प्लाट नं. 04, पीएसपी एरिया, एम्स के पास, साकेत नगर, भोपाल

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

अधोहस्ताक्षरकर्ता केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(12) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणधारी को निम्न खाते के सामने वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज राशि एवं सहित नोटिस प्राप्ति के 60 दिन की समयावधि के भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था।
ऋणी निर्धारित समय सीमा मे ऋण का भुगतान करने मे असफल रहा है। अतः ऋणी/जमानतदार एव सर्वसाधारण को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उक्त नियम (8 एवं 9) के अंतर्गत नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है। ऋणग्रहीता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद द्वारा निम्नलिखित संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई व्यवहार निम्न खाते के सामने वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज के लिए **केनरा बैंक की ए.आर.एम. शाखा** के अधीन होगा।
ऋणी एवं जमानतदारों का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को उपलब्ध समय में छुड़ाने (**redeem** कराने) के संबंध में अधिनियम की धारा (13) एवं उपधारा 8 के प्रावधानों के तहत आकर्षित किया जाता है।

ऋणी /बंधककर्ता/ जमानतदारों का नाम	मांग नोटिस दिनांक कब्जा दिनांक	कब्जा की गई अचल संपत्ति का विवरण
ऋणी एवं बंधककर्ताः **मेसर्स जैनब ट्रेडर्स, प्रोपराइटर- श्री इरशाद खान पटेल पुत्र अजीज खान, श्री इरशाद खान पटेल पुत्र अजीज खान** ऋणी एवं जमानतदारः **श्रीमती संजीदा बी पत्नि श्री इरशाद खान पटेल**	02.03.2026 13.05.2026 मांग सूचना अनुसार बकाया राशि ₹ 1,81,70,553.40 +ब्याज एवं अन्य खर्चे	**(1) पैकी भू-भाग नंबर 1, सर्वे/खसरा नंबर 311/1/1/2 पैकी (बटांकन के बाद नया सर्वे/खसरा 311/1/1/2/0001/0004) पटवारी हल्का नंबर 36, ग्राम बड़ा बांगड़दा, तहसील हातोद, इंदौर, मध्य प्रदेश (453112), क्षेत्रफलः 5999.00 वर्गफुट, चर्तुसीमाएँः पूर्वः अन्य भूमि, पश्चिमः सड़क, उत्तरः प्लॉट नंबर 2, दक्षिणः सड़क, संपत्ति मालिक - श्री इरशाद खान पटेल पुत्र श्री अजीज खान (2) कमर्शियल भूमि सर्वे नंबर 228/1/2, प.ह.नं. 32 (पुराना) 31 (नया) ग्राम राजोदा (सिलोदा बुजुर्ग), तहसील सांवेर, इंदौर, म.प्र. (453551), क्षेत्रफलः 54446.00 वर्गफुट चर्तुसीमाएँः पूर्वः रफीक की भूमि, पश्चिमः सर्वे नं. 228/1/2 की शेष भूमि, उत्तरः सड़क, दक्षिणः इरशाद खान की भूमि**

स्थान-इंदौर दिनांक : 13.05.2026 प्राधिकृत अधिकारी केनरा बैंक

CENTRUM Home Loans
Aao milkar ghar banaye

कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर 801, सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई - 400098, सीआईएन नंबर U65922MH2016PLC273826

कब्जा नोटिस

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) और नियम 8(2) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर को नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि को संविदागत ब्याज, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया जाता है। उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उधारकर्ता विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उस पर संविदात्मक ब्याज और दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि की राशि के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

स. क्रं.	ऋण खाता सं. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नाम/	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग की तिथि नोटिस और कुल बकाया राशि (रु.)	कब्जा लेने की तिथि
1	UDRMD24014800 सुनील कुम्हार/ कृष्णा कुमारी प्रजापत	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और हिस्से में मकान संख्या 36, वार्ड संख्या 02, क्षेत्रफल 3584 वर्ग फुट, ग्राम अधारी उर्फ निधारी, तहसील एवं जिला- मंदसौर-458002, मध्य प्रदेश में स्थित। सीमाएँः- पूर्वः साझा सड़क पश्चिमः दिलीपसिंह का घर उत्तरः गजराजसिंह का घर दक्षिणः धनपालसिंह का घर	01-अक्टूबर-25/ रु. 18,01,142/- (अठारह लाख एक हजार एक सौ बयालीस मात्र)	12-05-2026
2	UDRMD24018600 सुखलाल पाटीदार/ लीला बाई पाटीदार	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में भवन पंजी संख्या 207, क्षेत्रफल 94.20 वर्ग मीटर, मकान संख्या 104, ग्राम-चियोआलाना, तहसील एवं जिला-मंदसौर-458895, मध्य प्रदेश। सीमाएँः- पूर्वः रमेश का घर, पश्चिमः झमकु बाई का भूखंड, उत्तरः आम रास्ता, दक्षिणः समर्थ पटीदार का भूखंड	01-अक्टूबर-25/ रु. 5,65,211/- (पांच लाख पैंसठ हजार दो सौ ग्यारह मात्र)	12-05-2026
3	UDRMD24016066 राहुल सुतार/ भावना सुतार/ मीराबाई सुतार/ मंगेश सुतार	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और हिस्से में स्थितः मकान संख्या 529, पीएचएन 38, वार्ड संख्या 20, प्रशासनिक क्षेत्र 1050 वर्ग फुट, ग्राम - कचनारा फ्लेज, तहसील - दलोदा, जिला - मंदसौर-458669, मध्य प्रदेश। सीमाएँः- पूर्व हामिद कुरेशी का घर पश्चिम : मदनलाल का घर उत्तर : रमेशचंद्र की भूमि दक्षिण : साझा सड़क	29-नवंबर-25/ रु. 11,33,766/- (ग्यारह लाख तैंतीस हजार सात सौ छियासठ मात्र)	12-05-2026
4	UDRMD24018611 हरसिंह सोंधिया/ श्यामू बाई	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में, मकान संख्या 142, वार्ड संख्या 06, प्रशासनिक क्षेत्रफल 202.90 वर्ग मीटर, पी.एच.एन. 94, ग्राम-लिदा, तहसील एवं जिला-मंदसौर-458558, मध्य प्रदेश। सीमाएँः- पूर्वः उदय सिंह, पश्चिमः पवन सिंह उत्तरः स्वयं का बाड़ा, दक्षिणः रास्ता	27-जनवरी-26/ रु. 7,76,769/- (सात लाख छिहत्तर हजार सात सौ उनत्तर मात्र)	12-05-2026
5	UDRMD24019404 पप्पूदास वेरागी/सागर बाई	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और हिस्से में मकान/प्लॉट संख्या 111/2, पीएचएन.07, क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट, ग्राम - धत्रावाड़ा, तहसील - जावरा, जिला - रतलाम - 457336, मध्य प्रदेश। सीमाएँः- पूर्वः ईश्वर सिंह का घर पश्चिमः विष्णुदास बैरागी का घर उत्तरः अनेश्वरम का घर दक्षिणः आम रास्ता	31-जनवरी-26/ रु. 6,19,090/- (छह लाख उन्नीस हजार नब्बे मात्र)	12-05-2026

दिनांक : 16.05.2026 एसडी/- सेंट्रम हाउसिंग
स्थानः मध्यप्रदेश फाइनेंस लिमिटेड के लिए अधिकृत अधिकारी

NAME CHANGE

I **ZAINAB** Here By declare that I have change My name as **ZAINAB BOHRA** so from now in future I will be known by my new name **ZAINAB BOHRA** for all future purposes.

Address-
D/O QUIDE JOHAR
07 SAIFIYA MARG BOHRA MOHALLA , WARD NO. 06, KUKSHI DISTT. DHAR MP-454331

FOR SALE

इंदोर के रेसकोर्स रोड पे एमएनसी कंपनी के स्वामित्व कि ऑफिस 2 कार पार्किंग के साथ बेचने के लिये उपलब्ध है | इच्छुक खरीददार कृपया संपर्क करे 8329436086

UGRO CAPITAL
यूग्रो कैपिटल लिमिटेड

बी-17, चौथी मंजिल, आर्ट गिल्ड हाउस, फीनिक्स मार्केट सिटी, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई- 400070

मांग नोटिस

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के तहत

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ पढ़ा जाए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी करता/करती हूं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता/उधारकताओं को संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है। अधोहस्ताक्षरी का यह मानना है कि उधारकर्ता मांग नोटिस की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस को चिपकाकर और प्रकाशित करके तामील की जा रही है। मांग नोटिस की सामग्री नीचे दी गई हैः

उधारकर्ता का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि
1) श्री बालाजी दूध डेयरी और आइसक्रीम 2) रूप सिंह, 3) नितेश राजपूत 4) मोहन बाई लैन - UGSARMS0000068165	मांग नोटिस की तिथिः 30 अप्रैल 2026 नोटिस राशिः 43,87,729.00/- (तिरतालीस लाख सतासी हजार सात सौ उनतीस मात्र) दिनांक 30/04/2026 तक

सुरक्षित संपत्ति का विवरण - सर्वे संख्या 987/16, पोस्ट हाउस संख्या 26, ग्राम कनाद, तहसील अगर और जिला अगर, मालवा में स्थित मकान/प्लॉट, जिसका कुल क्षेत्रफल 1020 वर्ग फुट है और उस पर निर्माण कार्य है। सीमाएँः पूर्व की ओरः विक्रेता का प्लॉट, पश्चिम की ओरः यशवंत सिंह का प्लॉट, उत्तर की ओरः सड़क, दक्षिण की ओरः सड़क। सर्वे संख्या 518/1, पोस्ट हाउस संख्या 29, ग्राम समगीमाना, तहसील अगर और जिला अगर, मालवा में स्थित मकान/प्लॉट, जिसका कुल क्षेत्रफल 0.20 हेक्टेयर है और उस पर निर्माण कार्य है। सीमाएँः पूर्व की ओरः श्री सवाई सिंह की पत्नी प्रकाश बाई की भूमि।पश्चिम की ओरः श्री सवाई सिंह की पत्नी प्रकाश बाई की भूमि। उत्तर की ओरः भरत सिंह के पुत्र अर्जुन सिंह राजपूत की भूमि। दक्षिण की ओरः सारंगपुर रोड।

उधारकर्ता का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि
1) रॉयल स्टार चिकन बिरयानी सेंटर 2) शबाना शेख 3) इश्तियाक मोहम्मद लैन - UGSARMS0000080316	मांग नोटिस की तिथिः 30 अप्रैल 2026 नोटिस राशिः 23,53,138.00/- (तेईस लाख तिरेपन हजार एक सौ अड़तीस मात्र) दिनांक 30/04/2026 तक

सुरक्षित संपत्ति का विवरण - अचल संपत्ति का वह भाग जो मकान संख्या 22, मकान संख्या 42, वार्ड संख्या 10 (पुराना 8), कामदीपुरा, शाजापुर, तहसील एवं जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश में स्थित है। कुल क्षेत्रफलः 756 वर्ग फुट या 70.26 वर्ग मीटर। सीमाएँः पूर्व की ओरः हनीफ खान का मकान, पश्चिम की ओरः गली, उत्तर की ओरः अकेला खान का मकान, दक्षिण की ओरः गली।

उधारकर्ता का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि
1) माँ नर्मदा ऑटो पार्ट्स, 2) लालता बाई, 3) आशा, 4) सुरेंद्र सिंह सेंधव, 5) हरेंद्र सिंह ठाकुर, 6) ऋषिराज सेंधव लैन - UGSRESS0000071471	मांग नोटिस की तिथिः 30 अप्रैल 2026 नोटिस राशिः 80,86,832.00/- (अस्सी लाख छयासी हजार आठ सौ बत्तीस मात्र) दिनांक 30/04/2026 तक

सुरक्षित संपत्ति का विवरण - अचल संपत्ति का वह भाग और हिस्सा, जिसका पता हैः भूमि सर्वेक्षण संख्या 270/3/2, ऋण पुस्तिका एलडीई-33120, मकान संख्या 52, आरए.एन.आई.वी. संख्या 01, ग्राम जगदीशपुर, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास (मध्य प्रदेश), क्षेत्रफल 3060 वर्ग फुट (284.38 वर्ग मीटर), आरसीसी निर्मित क्षेत्र 3060 वर्ग फुट (284.38 वर्ग मीटर), और सीमाएँः उत्तरः आशा बाई का मकान, दक्षिणः कल्याण सिंह की भूमि, पूर्वः कल्याण सिंह की भूमि, पश्चिमः प्रधानमंत्री मार्ग। भूमि सर्वेक्षण संख्या 270/3/1 और 271/3/1 रिन पुस्तिका एलडीई-33121 पर स्थित अचल संपत्ति का वह भाग, जो पी.एच. संख्या 55, रा.नी. वी. संख्या 01, ग्राम जगदीशपुर, तहसील सोनकच्छ,जिला देवास (मध्य प्रदेश) में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 6048 वर्ग फुट (562.08 वर्ग मीटर) है, जिसमें आरसीसी निर्मित क्षेत्र 2730 वर्ग फुट (253.71 वर्ग मीटर) है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः उत्तरः जितेंद्र सिंह का मकान, दक्षिणः सुरेंद्र सिंह का मकान, पूर्वः दानकर्ता की भूमि, पश्चिमः जगदीशपुर सोनकच्छ, मार्ग

उधारकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि वे मांग नोटिस का पालन करें और उसमें और ऊपर उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर, लागू ब्याज, विलंब शुल्क, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय आदि सहित, भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक करें। उधारकर्ता(ओं) को यह ध्यान रखना चाहिए कि यूग्रो कैपिटल लिमिटेड एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकर्ता(ओं) द्वारा लिया गया ऋण अचल संपत्ति(यों) के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है, जो उधारकर्ता(ओं) द्वारा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के पास गिरवी रखी गई सुरक्षित परिसंपत्ति(यों) हैं।
यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपने सभी दायित्वों का पूर्ण भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो यूग्रो कैपिटल लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत सभी अधिकारों का प्रयोग करते हुए सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए अधिकृत होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से उनका हस्तांतरण करना या अधिनियम और उसके अंतर्गत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का उपयोग करना शामिल है, ताकि उधारकर्ता के ऋण खाते में बकाया राशि की वसूली की जा सके। यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को बकाया राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि सुरक्षित परिसंपत्तियों का मूल्य उधारकर्ता द्वारा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को देय राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है।
यह उपाय यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को किसी अन्य कानून के तहत उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।
ऋणकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है, और अधिनियम की धारा 13(13) की ओर भी, जिसके तहत ऋणकर्ता(ओं) को यूग्रो कैपिटल लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या उनसे संबंधित किसी भी लेन-देन करने या उन्हें बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से (व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा) हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्त का अनुपालन न करना अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और ऋणकर्ता(ओं) यदि चाहें तो अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांकः 16.05.2026 एसडी/- (अधिकृत अधिकारी),
स्थानः मध्य प्रदेश यूग्रो कैपिटल लिमिटेड

TATA टाटा कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : 302, तीसरी मंजिल, खण्डेलवाल बिजनेस पार्क, ब्लॉक नं. 4, 9/1 एमजी रोड़, इन्दौर - 452001.

अचल संपत्ति के विक्रय के लिए बिक्री सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

ऋण खाता क्रं. TCFLA0284000011070724: श्री शरद त्रेहन

यह सूचित किया जाता है कि **टाटा कैपिटल लिमिटेड (टीसीएल)** एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वीं मंजिल, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 में और **मध्यप्रदेश** में अन्य स्थानों के बीच एक शाखा कार्यालय ("शाखा") है, दिनांक 24.11.2023 के आदेशों के तहत, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) मुंबई ने टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ("टीसीएफएसएल") और टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड ("टीसीसीएल") के बीच हस्तांतरणकर्ता और टाटा कैपिटल लिमिटेड ("टीसीएल") हस्तांतरिती के रूप में, के बीच व्यवस्था की योजना को कंपनी अधिनियम, 2013 ("उक्त योजना") की धारा 66 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित धारा 230 से 232 के प्रावधानों के तहत विधिवत मंजूरी दे दी है। इसके संदर्भ में, टीसीएफएसएल और टीसीसीएल (ट्रांसफरर कंपनियां) अपने उपक्रम के साथ सभी संपत्तियों, परिसंपत्तियों, अधिकारों, लाभ, ब्याज, कर्तव्यों, दायित्वों, देनदारियों, अनुबंधों, समझौतों, प्रतिभूतियों आदि, जैसा कि प्रभावी तिथि यानी 01.01.2024 से साथ एक चालू कंपनी के रूप में टीसीएल में विलय कर चुकी हैं। उक्त आदेश और योजना के अनुसरण में, टीसीएफएसएल द्वारा निष्पादित सभी सुविधा दस्तावेज और उनके संबंध में सभी बकाया आवेदक कंपनी को हस्तांतरित कर दिए गए और इस प्रकार टीसीएल वहां की शर्तों के अनुसार (उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं) से दावा करने का हकदार है।
निम्नलिखित ऋणकर्ता / सह-ऋणकर्ता को व्यक्तिगत रूप से तथा जनसामान्य को सार्वजनिक रूप से एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **टाटा कैपिटल लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार / टीसीएल)** के पास गिरवीकृत नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कब्जा टाटा कैपिटल लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, की बिक्री **"जैसे है जहाँ है" तथा "जो है वही है" और "जो कुछ भी है वहीं है तथा उपचार रहित"** आधार पर **11 जून 2026** को की जायेगी।
जबकि प्रतिभूत आस्ति का विक्रय प्रतिभूति ऋण की वसूली के लिए किया जाना है और जबकि दिनांक **14.05.2026 को बकाया राशि ऋण खाता क्रमांक TCFLA0284000011070724 के अंतर्गत राशि रु. 57,13,062 / - (रूपये सत्तावन लाख तेरह हजार बासठ मात्र)** समस्त लागतो, ब्याज आदि सहित **कर्जदारों एवं सहकर्जदारों / जमानतदारों** अर्थात **(1) श्री शरद त्रेहन ऋणी रूप में; (2) श्री अनिल कुमार सलहोत्रा; (3) श्री रणजीत कुमार त्रेहन (4); श्री दीपक सेहगल; (5) श्रीमती वनीता त्रेहन; (6) बबीता सेहगल इन सभी का पता है :** 360 / 1 सृष्टि क्लब के सामने, देवास, मध्य प्रदेश - 455001; **अन्य पता** : प्लॉट नंबर 6, (पुराना ब्लॉक नंबर 3), स्टेशन रोड, देवास, मध्य प्रदेश - 455001; **(7) मेसर्स सृष्टि मार्केटिंग कृ अपने पार्टनर शरद त्रेहन के माध्यम से, जिनका पता है** : 898 / 3, हरिसिंह गोयल मार्ग, देवास, मध्य प्रदेश - 455001; वैकल्पिक पता : 360 / 1, सृष्टि क्लब के सामने, देवास, मध्य प्रदेश - 455001; **अन्य पताः** प्लॉट नंबर 6, (पुराना ब्लॉक नंबर 3), स्टेशन रोड, देवास, मध्य प्रदेश - 455001, से बकाया है।
एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि विक्रय के किसी विलम्बन अनिरन्तरता के उपस्थित होने पर कथित सम्पत्ति का विक्रय ई-नीलामी के माध्यम से **टीसीएल** द्वारा कथित **11 जून 2026** को **2:00 बजे अपरान्ह** शाखा कार्यालय **302, तीसरी मंजिल, खंडेलवाल बिजनेस पार्क, ब्लॉक नंबर 4, 9 / 1 एम जी रोड, इंदौर-452001** पर किया जायेगा।
ईएमडी राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित सम्पत्ति के क्रय हेतु मुहरबन्द ई-नीलामी कथित **10 जून 2026** को **5:00 बजे अपरान्ह** तक **टाटा कैपिटल लिमिटेड** के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा ग्रहण किया जायेगा।

सुरक्षित संपत्ति का विवरण	आधिपत्य का प्रकार रचनात्मक/ भौतिक	आरक्षित मूल्य (रु.)	बयाना राशि (रु.)
म्यूनिसिपल मकान नं. 06 (पुराना ब्लॉक नं.3) क्षेत्रफल 2500 वर्गफीट (राजतिलक कॉम्पलेक्स) सुकरवारिया हाट, स्टेशन रोड़, देवास, मध्य प्रदेश-455001 **चर्तुसीमा :** पूर्व : रोड, पश्चिम : बेक लेन, उत्तर : भुरानी पाईप, दक्षिण : रोड़	भौतिक	₹ 2,25,00,000/- (रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख हजार मात्र)	₹ 22,50,000/- (रुपये बावीस लाख पचास हजार मात्र)

बिक्री के लिए रखी जाने वाली संपत्ति ऊपर वर्णित अनुसार सुरक्षित परिसंपत्ति के अंदर या भीतर पड़ी चल वस्तुएं घरेलू सूची यदि कोई हो तो सुरक्षित परिसंपत्ति के साथ बिक्री के लिए तब तक उपलब्ध नहीं होगी जब तक कि नीलामी बिक्री नोटिस में विशेष रूप से वर्णित न हो। विक्रय उस दशा में रोक दिया जाएगा जब प्राधिकृत अधिकारी के पास इस बात का सबूत पेश किया जाए या उन्हें इस बात से संतुष्ट किया जाए कि समस्त ब्याज एवं लागत (विक्रय की लागत सहित) सहित उक्त देय राशि का भुगतान कर दिया गया है। विक्रय प्रक्रिया में सामान्य रूप से सर्वसामान्य व्यक्तियों को अपनी निविदा प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया है। इस विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार का कर्तव्य निर्वहन करने वाला कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति विक्रीत सम्पत्ति के अधिग्रहण या किसी हित के अधिग्रहण के प्रयास हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संविदा नहीं कर सकेगा। यह बिक्री सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों शर्तो के अधीन होगी।
ई-नीलामी प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित **11 जून, 2026** को **2.00 बजे अपरान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह** के बीच पोर्टल **https://BidDeal.in** के माध्यम से की जायेगी सम्पत्ति के क्रय हेतु जमा की गयी समस्त संविदाओं के साथ ऊपर लिखे के अनुसार जमा धरोहर राशि **इन्दौर** में देय" **टाटा कैपिटल लिमिटेड**" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। सम्पत्ति का निरीक्षण **02 जून, 2026** को **प्रातः 11 बजे से सायं 5.00 बजे** के बीच किया जा सकता है।
नोटः इच्छुक संविदाकार **टाटा केपिटल लिमिटेड मोबा.नं. +91-8691005238 / प्राधिकृत अधिकारी श्री मनीष शेन्द्रे** से ई-मेल आईडी manish.shendre@tatacapital.com **तथा मो. नं.+91-9820257322** पर संपर्क कर सकते हैं।
विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तो के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट **http://www.tatacapital.com/content/dam/tata-capital/pdf/e-auction/tcfsl/3rd-E-Auction-Newspaper-Publication-SHARAD-TREHAN-TCFLA0284000011070724-Dewas.pdf** पर दिये गये लिंक को देखें।

ह/-
स्थान : इन्दौर (मध्य प्रदेश) (प्राधिकृत अधिकारी)
दिनांक : 16-05-2026 टाटा कैपिटल लिमिटेड

कार्यालय उज्जैन नगर पालिक निगम, उज्जैन

छत्रपति शिवाजी भवन आगर रोड उज्जैन

विज्ञप्ति क्र./शि.वि. / 2026 / 844 उज्जैन दिनांक :-15/05/2026

(online) **निविदा विज्ञप्ति**

निम्नांकित कार्य के लिए प्रपत्र 'अ' (फार्म ए) में प्रतिशत कम या अधिक के आधार पर प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग म.प्र. शासन भोपाल के कार्यालय में पंजीकृत ठेकेदारों से उक्त विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती हैं, तथा ठेकेदार की (श्रेणी सी) एम.पी. गवर्मेंट व नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. भोपाल UADD SOR 02-08-2021 सिरियल क्र. 01 का टेण्डर फार्म का मूल्य 1000/- सिरियल क्र. 02 से 04 का टेण्डर फार्म का मूल्य 2000/- रहेगा तथा सिरियल क्र. 05 का टेण्डर फार्म का मूल्य 5000 /- रहेगा। सिरियल क्र. 01 से सिरियल क्र. 05, को आनलाईन क्रय करने व ऑनलाईन ई. एम. डी. राशि एवं समस्त दस्तावेजों को Submission करने की अंतिम दिनांक 27.05.2026 समय 17.30 रहेगी। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना एवं अन्य जानकारी वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती हैं। यदि उपरोक्त निविदा मे किसी प्रकार का संशोधन होता है तो इसकी सूचना ऑन लाईन दी जावेगी। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नही की जावेगी।

क्रं.	टेंडर क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अमानत राशि	समया अवधि
1	2	3	4	5	6
1	2024_UAD_374181_6	वार्ड क्र. 32 अंतर्गत मारू प्रजापत धर्मशाला एवं लक्ष्मी निवास के सामने पेवर ब्लाक एवं एजिंग कार्य।	1,69,297/-	3390/-	30 दिन
2	2023_UAD_255288_15	वार्ड क्र. 32 अंतर्गत संधारण कार्य।	4,22,962/-	8460/-	90 दिन
3	2023_UAD_270596_14	वार्ड क्र. 32 अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर क्रॉस ड्रेन निर्माण कार्य।	4,89,594/-	9792/-	60 दिन
4	2026_UAD_479250_2	वार्ड क्र. 32 अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर सी.सी. रोड निर्माण एवं रिपेयरिंग कार्य।	5,80,270/-	5850/-	60 दिन
5	2025_UAD_448768_3	वार्ड क्र. 32 अंतर्गत रेतीवाले बाबा के पास से खंदार मोहल्ला साखान मस्जिद तक नाला निर्माण कार्य	21,71,825/-	16288/-	90 दिन

कार्यपालन यंत्री
झोन क्र. 03
नगर पालिक निगम उज्जैन

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)
CIN L65110TN2014PLC097792,
पंजीकृत कार्यालयः - केआरएम टावर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031. टेलीफोनः +91 44 4564 4000 फैक्सः +91 44 4564 4022

परिशिष्ट IV [नियम 8(1)] कब्जे का नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 3] के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता/सह-उधारकताओं और गारंटीकताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे संलग्न मांग नोटिस में उल्लिखित राशि को मांग नोटिस की तिथि से भुगतान/वसूली तक अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्कों सहित चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया है।
ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर राशि चुकाने में असफल रहे हैं, इसलिए ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है।

ऋण खाता संख्या	खाता सह-उधारकर्ता/ओं का नंबर और गारंटर नाम	गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरण	मांग नोटिस दिनांक	मांग नोटिस बकाया राशि (रु.)	कब्जा लेने की तिथि और प्रकार
65463447	1. पन्ना लाल 2. हेमकुंवर पन्ना 3. मंजुबाला कालूराम	ग्राम जलवाल, पीएच नं. 61, भूमि सर्वेक्षण संख्या 368, वार्ड संख्या 09, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन, म.प्र.-456224 में स्थित 900.00 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली वह संपत्ति, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्व में मोहनलाल की संपत्ति, पश्चिम में भुवन सिंह की संपत्ति, उत्तर में खुला मैदान, दक्षिण में सड़क।	30.08.2025	रू. 2,60,481.64/-	भौतिक कब्जा 12.05.2026
107188025	1. मन्नू सिंह 2. सपना बाई	मकान संख्या 65 का वह पूरा भूखंड, जिसका माप 34x40 = 1360 वर्ग फुट या 126.39 वर्ग मीटर है, जो पीएच नं. 61, भूमि सर्वेक्षण संख्या 180, ग्रामः मलाखेड़ी, ग्राम पंचायतः मलाखेड़ी, तहसीलः खाचरोद, जिलाः उज्जैन, मध्य प्रदेश-456313 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्व में सड़क, पश्चिम में आबादी भूमि, उत्तर में हरि सिंह का घर, दक्षिण में राधे श्याम का घर।	30.08.2025	रू. 6,75,034.36/-	भौतिक कब्जा 12.05.2026

विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति से संबंधित लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी लेन-देन पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) द्वारा मांग नोटिस में उल्लिखित राशि के साथ-साथ मांग नोटिस की तारीख से भुगतान/वसूली तक अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क का प्रभार लगाया जाएगा।

अधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
दिनांकः 12.05.2026
स्थानः मध्य प्रदेश (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)